भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 3744</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022/15 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है)

<u>व्यक्तिगत करदाताओं से वसूल किया गया कर</u>

3744. श्री नीरज डांगीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत करदाताओं से सरकार द्वारा वसूल किए गए कर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन करदाताओं की संख्या और उनके विरूद्ध बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन करदाताओं से कर वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)</u>

(क) कॉरपोरेट कर के अलावा अन्य आय पर करों का संग्रह निम्नानुसार है::

(आंकड़े करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	वित्त वर्ष	कॉरपोरेट कर के अलावा अन्य आय पर कर*
1	2018-19	4,61,640.70
2	2019-20	4,80,276.19
3	2020-21	4,70,462.08

(स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, के. प्र. क. बोर्ड)

* व्यक्तिगत करदाताओं से सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर के डेटा का रखरखाव अलग से नहीं किया जाता है। तालिका में दिए गए आंकड़ों में होटल प्राप्तियाँ कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर, आय और व्यय पर अन्य कर, विविध कर प्राप्तियां, व्यक्तिगत करदाताओं से उपहार कर और वस्तु लेनदेन कर, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्ति/व्यक्तियों का निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के संघ के तहत संग्रह शामिल हैं। ।

(ख) व्यष्टि के संबंध में 01 अप्रैल, 2022 को बकाया मांगों पर सारांश निम्नानुसार हैं:

व्यष्टियों की कुल संख्या जिनके लिए मांग बकाया है* = **1,31,55,406**

बकाया मांग की कुल राशि (रु.) = **8,40,143.83** करोड़

*100 रूपए से अधिक की कुल मांग (सभी निर्धारण वर्षों के लिए) वाले पैनों को सारांश के लिए लिया गया है। 01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार आईटीबीए मांग इंटरफेस सारणी में सभी खुली मांगें तथा जिनके निर्धारण वर्ष का उल्लेख इसमें किया गया है (निर्धारण वर्ष रिक्त नहीं है), पर विचार किया गया है।

चूंकि संशोधन/भुगतान आदि के कारण आंकड़े में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पूर्व वर्षों के लिए तदनुरूपी मूल्य उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार बकाया करों की शीघ्र वसूली के लिए अनेक उपाय किए हैं। बकाया करों की वसूली के लिए नीतियां और लक्ष्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वार्षिक केंद्रीय कार्य योजना दस्तावेज के एक भाग के रूप में प्रतिपादित हैं। बकाया मांग की वसूली के लिए निर्धारण अधिकारियों के प्रयासों की नियमित रूप से समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। व्यक्तिगत संव्यवहार विवरण तथा एफआईयू-इण्ड जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित विवरण जैसे डेटाबेस वसूली के लिए आस्तियों की पहचान हेतु क्षेत्रीय इकाइयों को उपलब्ध कराये जाते हैं। वसूली के लिए कर वसूली अधिकारी हेतु दिशा-निर्देश तथा स्थगन याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए निर्धारण प्राधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी देय प्रतिदाय के मामले में उसका बकाया मांग के प्रति समायोजन किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीवी) का अधिनियमन अन्य बातों के साथ-साथ लंबित आयकर विवादों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व अर्जित करने और करदाताओं को मानसिक शांति, समय एवं संसाधनों की बचत एवं निश्चितता प्रदान करके लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था, जो अन्यथा विवादों को हल करने वाली दीर्घकालिक अभियोजन प्रक्रिया पर खर्च हुआ होता ।

******